pan>

Title: Need to open the level crossing illegally baricaded by a contractor in Hapur, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, दिनांक 1 जनवरी, 2014 को हापुड़ में गढ़ को जाने वाले मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर ऊपरगामी सेतु बनाये जाने का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निगम सेतु द्वारा प्रारंभ किया गया जो अत्यंत धीमी गति से चलने के कारण लगभग 2 वर्ष बीत जाने बाद भी, अभी तक अधूरा पड़ा है। लगभग चार माह पूर्व रेलवे लाइन के ऊपरी हिस्से का कार्य रेलवे के ठेकेदार मैसर्स बी.एम. कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया। ठेकेदार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के मार्ग को बैरिकेडिंग लगा कर बंद कर दिया गया। मेरे द्वारा उसमें हस्तक्षेप किये जाने के परिणामस्वरूप इस मार्ग पर पुनः आवगमन शुरू हो पाया। अब पुनः 2 दिसम्बर, 2015 को ठेकदार द्वारा इस मार्ग को बिना किसी सूचना के तथा बिना कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था किये, बैरिकेडिंग लगाकर पूर्णरूप से बंद कर दिया गया। यह लाइन हापुड़ नगर के मध्य से निकलती है तथा मार्ग के दोनों तरफ आधी-आधी आबादी रहती है। नगर के प्रमुख सकूल सरकारी अस्पताल तथा सब्जी मंडी जैसी आवश्यक सुविधायें लाइन के एक तरफ हैं एवं जिला मुख्यालय, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा लाइन के दूसरी तरफ हैं। बुजुर्ग, असहाय, छात्र-छात्राओं एवं छोटे-छोटे बच्चों आदि के लिए कोई भी पैदल अथवा दुपहिया वाहन के आने-जाने के किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण से लोग बहुत परेशान हैं। हालत यह है कि आधा किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पांच किलोमीटर का सफर अत्यंत संकरे, असुरक्षित और जीर्ण-शीर्ण मार्ग से तय करना पड़ता है। इस रेलवे फाटक पर सेतु का निर्माण सड़क के दोनों ओर बनी हुयी पटरियों पर वाहनों को चलते रहने की व्यवस्था के बावजूद किया जा सकता है, परन्तु रेलवे के ठेकेदार ने दुराग्रहपूर्वक हापुड़ नगर का यह मार्ग बंद कर दिया है। जिले का प्रशासन भी हाथ उठा कर खड़ा है और पूरे शहर के अंदर ऐसी दुरावस्था हो गयी है कि शाम छः-साढ़े छः बजे के बाद कोई उस मार्ग से जा ही नहीं सकता है, वहां से छोटा बच्चा भी निकल नहीं सकता है, वहां पांच किलोमीटर का रास्ता पार करना असंभव है, वहां की स्थिति ऐसी हो गयी है। वहां पर दो पुल बने हैं, दिल्ली में मेट्रो बना है, छोटा रास्ता खोल कर इसको बनाया जा सकता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, रेल मंत्रालय से खास कर अनुरोध है कि इसमें हस्तक्षेप करें और हापुड़ नगर में इस रेलवे फाटक के ठेकदार द्वारा अवैध रूप से बंद किये गये, इस फाटक को तुरंत खुलवाया जाये तथा इस मामले की जांच करवाकर ठेकेदार के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री शरद त्रिपाटी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।